राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–23 / 2025

सरकार जरिये रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पप्पू सिंह निवासी अनूपगढ़
(प्रोपराईटर मॉ श्री बीकानेर स्वीट्स, अनूपगढ़)

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–04.08.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–23.08.2024 को **रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** मैन बाजार स्थित फर्म/होटल **मॉ श्री बीकानेर स्वीट्स, अनूपगढ़** पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म मॉ श्री बीकानेर स्वीट्स पर श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पप्पू सिंह निवासी अनूपगढ़ मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया।

श्री सुरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में **मॉ श्री बीकानेर स्वीट्स** की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर मिठाई बनाने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए **मॉ श्री बीकानेर स्वीट्स** पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़ा पाया गया तथा 01 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखा पाया गया जो कि चूल्हे से जुड़ा नही था। दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस एजेन्सी का था। श्री सुरेन्द्र ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा प्रतिष्ठाान पर मिठाई बनाने में व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त 02 घरेलू सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है, पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा भंडारण संवंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री सुरेन्द्र सिंह के पास नहीं मिला।

फर्म **मॉ श्री बीकानेर स्वीट्स अनूपगढ़** पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्ती किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी अनूपगढ़ के कार्मिक बिल्लू गल्होत्रा पुत्र श्री मुश्ताक राय उम्र 55 जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.–01 सूरतगढ़ आधार सं.–958926289530 मो.नं.–9610887491 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती, मौका नजरी नक्शा एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पप्पू सिंह निवासी अनूपगढ़ द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पप्पू सिंह निवासी अनूपगढ़ का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 की धारा 3(1)(ख) (ग),4(1) (क)(ग)(2),6व7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से प्राप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जब्त किये गये घरेलू सिलेण्डर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें, तथा कार्यवाही ड्रॉप की जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। **अप्रार्थी श्री सुरेन्द सिंह पुत्र श्री पप्पू सिंह निवासी अनूपगढ (प्रोपराईटर माँ श्री बीकानेर स्वीट्स, अनूपगढ)** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख) (ग),4(1) (क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी गैस को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री सुरेन्द सिंह पुत्र श्री पप्पू सिंह निवासी अनूपगढ (प्रोपराईटर माँ श्री बीकानेर स्वीट्स, अनूपगढ)** की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ
अति.जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़